

पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)


CIN: U40101UR2004SGC028675

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़,
माजरा, देहरादून-248002, उत्तराखण्ड

पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड में मुख्यालय स्तर से समय-समय पर विभिन्न विषयों से सम्बन्धित विज्ञापन, विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाते हैं। उक्त कार्य हेतु पिटकुल द्वारा विभिन्न विज्ञापन ऐजेंसियों का वर्ष 2023-24 हेतु एक पैनल गठित किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। सम्बन्धित विज्ञापन ऐजेंसियाँ दिनांक 28.08.2023 तक पूर्ण विवरण के साथ अधोहस्ताक्षरी को आवेदन कर सकती हैं। आवेदन पत्र में विज्ञापन दरों (डी.ए.वी.पी.) का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। विज्ञापन से सम्बन्धित अन्य शर्तें पिटकुल की वेबसाइट www.ptcul.org पर एवं इस कार्यालय में भी उपलब्ध हैं।

अधिशासी अभियन्ता
(मु०भु०इ०)

"राष्ट्रहित में बिजली बचायें"



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN: U40101UR2004SGC028675

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़,
माजरा, देहरादून-248002, उत्तराखण्ड

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड में मुख्यालय स्तर से समय-समय पर विभिन्न विषयों से सम्बन्धित विज्ञापन, विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाते हैं। उक्त कार्य हेतु पिटकुल द्वारा विभिन्न विज्ञापन ऐजेंसियों का वर्ष 2023-24 हेतु एक पैनल गठित किया जाना विचाराधीन है, जिस हेतु निम्न शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं:-

- फर्म को उत्तराखण्ड का GSTIN सं. का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- फर्म को PAN नं. की प्रमाणित छाया प्रति पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- फर्म के पास देहरादून में नियमित डिजाइनर की नियुक्ति होनी अनिवार्य होगी।
- फर्म का कार्य क्षेत्र मूलरूप से एडवरटाईजिंग और पब्लिसिटी का होना चाहिए।
- फर्म का कार्यालय देहरादून में होना आवश्यक होगा, जिसकी पुष्टि के लिए फर्म को वैधानिक प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। आवश्यकतानुसार कार्यालय का निरीक्षण भी किया जा सकता है।
- सूचीबद्धता के उपरान्त फर्म को विभाग की आवश्यकतानुसार डिजाइन यथाशीघ्र तैयार करने होंगे।
- सूचीबद्ध होने के पश्चात विभागीय कार्यादेश के अनुरूप समय से कार्य सम्पादित न करने एवं गलत विज्ञापन छापने पर फर्म को सूची से पृथक किया जा सकता है।
- INS पंजीकरण/मान्यता तथा अन्य प्रस्तुत अभिलेखों की सत्यता के सम्बन्ध में फर्म को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- चयनित फर्मों को सूचीबद्ध किये जाने का अंतिम निर्णय पिटकुल, प्रबन्धन का होगा।
- ऐसी विज्ञापन ऐजेन्सी जिनकी सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड अथवा राज्य से सम्बद्धता होगी, को पैनल हेतु वरीयता दी जायेगा।

अतः इस कार्य हेतु इच्छुक फर्म अपना प्रस्ताव दिनांक 28 अगस्त 2023 तक अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय भुगतान इकाई), पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०, पिटकुल, "विद्युत भवन" माजरा, देहरादून के नाम से उपरोक्त कार्यालय पते पर सीलबंद लिफाफे में भेज सकते हैं। इस तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

“Save Electricity in the interest of Nation”